

सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)
(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित)
नामांकन हेतु आवेदन पत्र

नामांकन क्रमांक

प्रति,

कुल सचिव,
सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

महोदय,

निवेदन है कि मैं उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में अपना नाम नामांकित करवाना चाहता/चाहती हूँ। मेरा सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) में नामांकन नहीं हुआ है, इस हेतु निर्धारित शुल्क भेज रहा /रही हूँ। गुरुघासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में महाविद्यालयीन/अमहाविद्यालयीन/पूर्व छात्र/छात्रा के रूप में नामांकन क्र. है। नामांकन शुल्क (Enrolment Fees) रु. 100.00 (एक सौ रुपये), अप्रवासन शुल्क (Immigration Fees) रु. 300.00 (तीन सौ रु.) निर्धारित है।

नोट—निर्धारित तिथि के बाद तथा परीक्षा के पूर्व प्रस्तुत आवेदनपत्र के साथ रुपये 150/- (एक सौ पचास रुपये) विलम्ब शुल्क देय होगा। इसके बाद आवेदन या किसी प्रकार का वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने पर उपरोक्त शुल्क के साथ ही रुपये 100/- (एक सौ) प्रतिमाह अतिरिक्त शुल्क देय होगा। विदेशी छात्रों के लिये उपरोक्त के अतिरिक्त रुपये 500/- और जमा करना होगा।

विवरण निम्नानुसार है :-

1. पूरा नाम (हिन्दी में)
 2. अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में
 3. पिता का नाम श्री.....
 4. माता का नाम श्रीमती.....
 5. जन्म तिथि (अंको में) शब्दों में
 6. छत्तीसगढ़ में निवास कब से कर रहे/रही है
 7. प्रस्तावित परीक्षा का नाम
 8. पिछली उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण, जिसके आधार पर नामांकन होना है, कक्षा सत्र
- अनुक्रमांक..... विश्वविद्यालय/महाविद्यालय.....

हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट की सत्यापित अंकसूची अनिवार्य रूप से संलग्न करें एवं प्रस्तावित परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता देने वाली अंकसूची की सत्यापित प्रति संलग्न हो। छत्तीसगढ़ के बाहर के बोर्ड या विश्वविद्यालय से आने वाले छात्र को विश्वविद्यालय से जारी पात्रता प्रमाणपत्र के साथ मूल प्रवजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate) भी सम्मिलित करना होगा। समस्त अंकसूची अभिप्रमाणित हों।

घर का स्थायी :-

वर्तमान पता :-

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम एवं पिता का नाम छात्र/छात्रा स्वयं भरें)
सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पिता का नाम माता का नाम

का नामांकन किया गया। इनका नामांकन है।

कुलसचिव

महाविद्यालय कार्यालय के लिए

1. विद्यार्थी द्वारा अपने प्रपत्र में लिखा गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है। प्रमाणपत्रों को, जिसके आधार पर प्रवेश दिया गया है, मैंने स्वयं देखे हैं और उसकी भलीभांति जांच कर ली है। इस विद्यार्थी ने (परीक्षा का नाम) परीक्षा सत्र में बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की है। मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि विश्वविद्यालय से प्राप्त अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय परीक्षाओं की समकक्षता सूची के आधार पर यह कक्षा में प्रवेश की पात्रता रखता/रखती है।

2. विद्यार्थी को महाविद्यालय में तिथि को प्रवेश दिया गया है। छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में वर्णित नियमों का पालन किया गया है। विलम्ब से प्रवेश देने के पूर्व कुलपति जी से विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांकदिनांक..... के द्वारा अनुमति प्राप्त कर ली है।

(प्राचार्य कृपया स्वयं हस्ताक्षर करें, हस्ताक्षर की मुद्रा न लगायें)

प्राचार्य

महाविद्यालय की मुहर

- टीपः—
1. इस नामांकन पत्र में लिखा गया विद्यार्थी का नाम उच्चतर माध्यमिक शाला के प्रमाण पत्र (स्कूल सर्टिफिकेट) अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा निर्गमित प्रमाणपत्र में दिये अनुसार होना चाहिए।
 2. नाम परिवर्तन Sir Name हेतु प्रत्याशी हलफनामा व शुल्क जमा कर अनुमति प्राप्त करें।
 3. इस आवेदनपत्र को छात्र/छात्रा स्वयं भरें साथ ही अग्रेषित करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है।
 4. छत्तीसगढ़ बोर्ड को छोड़कर अन्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय से आए छात्रों को प्रवजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate) मूलतः प्रस्तुत करना आवश्यक है।
 5. प्रत्येक छात्र का नामांकन आवेदनपत्र नामावली पत्रक में नाम अंकित होना अनिवार्य है।
 6. प्रत्येक छात्र को हायर सेकेण्डरी की अंकसूची (अभिप्रमाणित) संलग्न करना अनिवार्य है।
-